भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 732
दिनांक 7 फरवरी, 2025 को उत्तर के लिए

महिलाओं के लिए योजनाएं

732. श्री मलैयारासन डी.:

क्या **महिला एवं बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत तीन वर्षों के दौरान महिलाओं के कल्याण के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई नई योजनाओं अथवा कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है;
(ख) विशेषकर सशक्तिकरण, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में इन योजनाओं के मुख्य उद्देश्य और लाभ क्या हैं;
(ग) तमिलनाडु में इन योजनाओं के लिए कुल कितनी धनराशि आवंटित और उपयोग की गई है;
(घ) ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों में महिलाओं तक इन कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन और सुलभता सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और
(ड.) क्या सरकार ने इसके तहत कोई लक्ष्य निर्धारित किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) से (ड.): सरकार तमिलनाडु राज्य सहित देश भर में महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षा और सशक्तिकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। इस उद्देश्य से सरकार ने महिलाओं के शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए जीवन-चक्र निरंतरता के आधार पर उनके मुद्दे का समाधान करने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया है ताकि वे तीव्र और सतत राष्ट्रीय विकास में समान भागीदार बन सकें। यह

'महिला प्रेरित विकास' वर्ष 2047 तक 'विकसित भारत' के लक्ष्य को साकार करने के लिए आवश्यक है।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय देश में महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए केंद्र प्रायोजित योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है, जिन्हें तीन भागों में बांटा गया है: (1) महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षा और सशक्तीकरण के लिए मिशन शक्ति; (2) देश में पोषण संकेतकों में सुधार के लिए सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0; तथा (3) कठिन परिस्थियों में बच्चों की सुरक्षा और कल्याण के लिए मिशन वात्सल्य। इन योजनाओं का विवरण इस प्रकार है:

(i) मिशन शक्ति: 'मिशन शक्ति' का उद्देश्य महिला सुरक्षा, संरक्षा और सशक्तीकरण के लिए हस्तक्षेप को मजबूत करना है। इसका उद्देश्य मंत्रालयों/विभागों और शासन के विभिन्न स्तरों पर अभिसरण में सुधार के लिए कार्यनीतियों के प्रस्ताव पर जोर देना है। मिशन शक्ति में महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षा तथा महिला सशक्तीकरण के लिए दो उप-योजनाएं 'संबल' और 'सामर्थ्य' शामिल हैं।

"संबल" उप-योजना महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षा के लिए है। इसमें वन स्टॉप सेंटर (ओएससी), महिला हेल्पलाइन (डब्ल्यूएचएल), बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी) और नारी अदालत जैसी योजनाएं शामिल हैं।

क. **वन स्टॉप सेंटर (ओएससी)-** जिला स्तर पर स्थित एक संस्था जो संकटग्रस्त महिलाओं को एक ही स्थान पर अस्थायी आश्रय, चिकित्सा एवं पुलिस सहायता, परामर्श और कानूनी सहायता जैसी तत्काल सहायता प्रदान करती है।

ख. **महिला हेल्पलाइन (डब्ल्यूएचएल) -** महिला हेल्पलाइन 181 सहायता और जानकारी चाहने वाली महिलाओं को 24 घंटे टोल-फ्री दूरसंचार सेवा प्रदान करती है। इसे सभी आपातकालीन सेवाओं के लिए आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली (ईआरएसएस) 112 के साथ भी एकीकृत किया गया है और सभी वन स्टॉप सेंटरों के साथ एकीकरण का काम प्रगति पर है।

ग. **बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी) -** बीबीबीपी मानसिकता में बदलाव लाने वाला एक कार्यक्रम है जो बहु-क्षेत्रीय पहलों के माध्यम से बालिकाओं के महत्व के प्रति जागरूकता पैदा करने में मदद करता है।

घ. **नारी अदालत-** एक ऐसा मंच है जो महिलाओं को ग्राम पंचायत स्तर पर बातचीत, मध्यस्थता और आपसी सहमति से समाधान के माध्यम से त्वरित, सुलभ और किफायती न्याय के लिए वैकल्पिक शिकायत निवारण तंत्र प्रदान करता है। इसे असम तथा जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की 50-50 ग्राम पंचायतों में प्रायोगिक आधार पर शुरू किया गया है।

"सामर्थ्य" उप योजना महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए है। इसमें प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई), शक्ति सदन, सखी निवास, पालना तथा संकल्प: महिला सशक्तिकरण केंद्र (एचईडब्ल्यू) जैसी योजनाएं शामिल हैं।

क. **प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई)-** पीएमएमवीवाई एक केंद्र प्रायोजित मातृत्व लाभ योजना है जिसके तहत पहले बच्चे के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) मोड में लाभार्थी के बैंक/डाकघर खाते में सीधे 5,000 रुपये की नकद प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। पात्र लाभार्थियों को दूसरा बच्चा बालिका होने पर पीएमएमवीवाई के तहत 6,000 रुपये की नकद प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की जाती है।

ख. **शक्ति सदन-** शक्ति सदन संकटग्रस्त एवं कठिन परिस्थितियों में रहने वाली महिलाओं के लिए एक एकीकृत राहत एवं पुनर्वास गृह है।

ग. **सखी निवास-** सखी निवास योजना (कामकाजी महिला छात्रावास) एक मांग आधारित केंद्र प्रायोजित योजना है जिसके तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सीधे निधि जारी की जाती है और इसका उद्देश्य शहरी, अर्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों, जहां महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर मौजूद हैं, में कामकाजी महिलाओं के लिए सुरक्षित और सुविधाजनक स्थान पर आवास की उपलब्धता को बढ़ावा देना है।

घ. **पालना-** पालना योजना डे-केयर क्रेच सुविधाओं के माध्यम से बच्चों के लिए सुरक्षित और संरक्षित स्थान प्रदान करती है। क्रेच सेवाएं अब तक घरेलू काम का हिस्सा मानी जाने वाली बाल देखभाल सुविधाओं को औपचारिक बनाती हैं और अंतिम लाभार्थी तक देखभाल सुविधाओं की प्रदायगी सुनिश्चित करने के लिए आंगनवाड़ी अवसंरचना का प्रयोग करती हैं।

ङ. **संकल्प: महिला सशक्तिकरण केंद्र (एचईडब्ल्यू)** - संकल्प: एचईडब्ल्यू महिलाओं के लिए उपलब्ध योजनाओं और सुविधाओं के बारे में जानकारी और ज्ञान के अंतर को पाटने के लिए एक माध्यम का कार्य करता है। यह मिशन शक्ति के तहत सभी घटकों के लिए एक परियोजना निगरानी इकाई (पीएमयू) का भी कार्य करता है।

(ii) सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 (मिशन पोषण 2.0): इस कार्यक्रम के अंतर्गत, आंगनवाड़ी सेवा योजना, पोषण अभियान और किशोरी योजना को 3 प्राथमिक खंडों में पुनर्गठित किया गया है: (i) 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों, गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और किशोरियों (14-18 वर्ष) के लिए

पोषण सहायता; (ii) प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा [3-6 वर्ष] और (iii) आधुनिक, उन्नत सक्षम आंगनवाड़ी सहित आंगनवाड़ी अवसंरचना।

15 वें वित्त आयोग में, 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं और किशोरियों के लिए पोषण सहायता के घटकों को शामिल किया गया है; इस स्कीम के प्रभावी कार्यान्वयन तथा अंतिम लाभार्थियों को बेहतर पोषाण प्रदायगी के लिए मिशन सक्षम आंगनवाड़ी तथा पोषण 2.0 के अंतर्गत प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख एवं शिक्षा (3-6 वर्ष) तथा आंगनवाड़ी अवसंरचना सहित आधुनिक, उन्नत सक्षम आंगनवाड़ी को पुनर्गठित किया गया है।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को यह भी सलाह दी गई है कि वे एमपीलैड्स, आरआईडीएफ, पंचायती राज संस्थाओं को वित्त आयोग अनुदान, नरेगा, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के एमएसडीपी इत्यादि जैसी विभिन्न योजनाओं से आंगनवाड़ी केन्द्रों के निर्माण के लिए निधियां प्राप्त करना जारी रखें।

राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को निर्देश जारी किए गए हैं कि वे उन आंगनवाड़ी केंद्रों को जो पर्याप्त बुनियादी ढांचे के बिना किराए पर चल रहे हैं, निकटवर्ती प्राथमिक विद्यालयों में जहां स्थान उपलब्ध हो, वहां स्थापित करें।

इसके अलावा, अंतरिम बजट वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और सहायिकाओं को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी- पीएमजेएवाई) के तहत 5 लाख रुपये के स्वास्थ्य सेवा वार्षिक कवरेज का विस्तार करने की घोषणा की गई थी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों / संघ राज्य क्षेत्र के लिए लगभग 8.15 लाख आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और सहायकों के लिए आयुष्मान कार्ड तैयार किए गए हैं, जहां सरकारें एबी-पीएमजेएवाई को कार्यान्वित नहीं कर रही हैं।

कुपोषित बच्चों की पहचान करने और समय पर पहल करने के लिए विकास मापदंडों की नियमित निगरानी आवश्यक है। इसलिए, आंगनवाड़ी केंद्रों को इन्फैंटोमीटर, स्टेडियोमीटर, शिशु वजन मापने वाला पैमाना, माँ और बच्चों का वजन मापने वाला पैमाना-जैसे विकास निगरानी उपकरणों से सुसज्जित किया गया है।

(iii) मिशन वात्सल्य: मिशन वात्सल्य (पूर्ववर्ती बाल संरक्षण सेवा योजना (आईसीपीएस)) एक केन्द्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) है, जिसे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है ताकि देखभाल और संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों (सीएनसीपी) और कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों (सीसीएल) के लिए बेहतर पहुंच तथा सुरक्षा हेतु सेवाएं प्रदान की जा सकें जिसमें मिशन मोड में संस्थागत देखभाल और गैर-संस्थागत देखभाल शामिल है, जिसका उद्देश्य है:

(i) कठिन परिस्थितियों में बच्चों को सहायता और सहारा देना (ii) विभिन्न पृष्ठभूमियों के बच्चों के समग्र विकास के लिए संदर्भ-आधारित समाधान विकसित करना (iii) अभिनव समाधानों को प्रोत्साहित करने के लिए ग्रीन फील्ड परियोजनाओं के लिए गुंजाइश प्रदान करना (iv) आवश्यक होने पर गैप फंडिंग द्वारा अभिसरण कार्रवाई को मजबूत करना।

यह योजना चाइल्ड हेल्पलाइन (1098) के माध्यम से कठिन परिस्थितियों में रह रहे बच्चों के लिए आपातकालीन आउटरीच सेवाएं (24x7) भी प्रदान करती है।

ये पहल महिलाओं और बच्चों से जुड़े महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दों का समाधान करने और उत्तराखंड राज्य सहित देश में स्थायी सामाजिक बदलाव लाने के लिए बनाई गई परिवर्तनकारी योजनाएं हैं। वे महिलाओं एवं बच्चों के कल्याण और विकास के प्रमुख क्षेत्रों को लक्षित करते हैं, जिसका उद्देश्य अधिक समावेशी, समतापूर्ण, न्यायपूर्ण तथा सहायक समाज बनाना है।

विभिन्न योजनाओं के लिए तमिलनाडु राज्य को जारी निधियों का वर्षवार विवरण **अनुलग्नक** में दिया गया है।

******

अनुलग्नक

“महिलाओं के लिए योजनाएं” के संबंध में दिनांक 07.02.2025 को श्री मलैयारासन डी द्वारा पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 732 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

विभिन्न योजनाओं के लिए तमिलनाडु राज्य को जारी की गई निधियों का वर्षवार विवरण:

मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के तहत

जारी की गई निधि (करोड़ रूपए में)		
2021-22	**2022-23**	**2023-24**
655.38	766.81	880.79

पीएमएमवीवाई के लिए मिशन शक्ति के तहत

जारी की गई निधि (करोड़ रूपए में)		
2021-22	**2022-23**	**2023-24**
52.31	68.03	0

संकल्प के मिशन शक्ति के तहत: एचईडब्ल्यू

जारी की गई निधि (करोड़ रूपए में)		
2021-22	**2022-23**	**2023-24**
01.04.2022 से प्रारम्भ	3.05	7.47

मिशन शक्ति के अंतर्गत आंगनवाड़ी सह क्रेच (एडब्ल्यूसीसी)

जारी की गई निधि (करोड़ रूपए में)		
2021-22	**2022-23**	**2023-24**
01.04.2022 से प्रारम्भ	0	1.74

ओएससी के लिए मिशन शक्ति के तहत

जारी की गई निधि (करोड़ रूपए में)		
2021-22	**2022-23**	**2023-24**

5.20	6.97	11.59

डब्ल्यूएचएल के लिए मिशन शक्ति के तहत

जारी की गई निधि (करोड़ रूपए में)		
2021-22	**2022-23**	**2023-24**
0.51	0.46	0.49

*****